माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या– (0755) 2551650

क्रमांक / 3571 / प.स. / 2024 भोपाल दिनांक 07 / 11 / 2024

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय संस्थाऍं
म.प्र.

विषय– पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (संबल योजना) के छात्रों को शुल्क में रियायत के संबंध में।

संदर्भ– मण्डल की प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका पुस्तिका आदेश क्रमांक / 3479–3480 / प.स. / 2024, भोपाल, दिनांक 25.06.2024।

––00––

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2024–25 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा के आवेदन पत्र एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन भरे जाते है। कतिपय संस्थाओं से यह जानकारी प्राप्त हुई है, कि उनकी संस्था के सम्बल योजना के पात्र छात्रों को मिलने वाली शुल्क छूट का लाभ त्रुटिवश उनके द्वारा नहीं लिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44–10 पार्ट 4 / 2018 / 20–2 भोपाल दिनांक 24.03.2018 एवं एफ 44–10 पार्ट 4 / 2018 / 20–2 भोपाल दिनांक 30.07.2018 द्वारा लिये निर्णय अनुसार मण्डल परीक्षा एवं नामांकन शुल्क में रियायत की सुविधा दी गई है।

उपरोक्तानुसार सम्बल योजना के पात्र परीक्षार्थियों को शुल्क की राशि वापिस किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. जो भी संस्था सम्बल के पात्र छात्रों के शुल्क की राशि वापस चाहती है। वह संस्था सर्वप्रथम एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध संशोधन (EDIT) सुविधा का उपयोग करते हुए पात्र छात्रों हेतु सम्बल योजना के तहत शुल्क छूट का विकल्प का चयन करेंगे तथा पात्र छात्रों के सम्बल कार्ड अपलोड करेंगे। यह कार्यवाही दिनांक 22 / 11 / 2024 तक पूर्ण की जायेगी।
2. ऐसे समस्त छात्रों का डेटा संबंधित संभागीय कार्यालयों के लॉगिन में उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित संभागीय कार्यालय प्रत्येक छात्र के अपलोड किये गये सम्बल कार्ड के आधार पर उन्हें शुल्क छूट हेतु पात्र / अपात्र ऑन लाईन दर्ज करेंगे। यह कार्यवाही संभागीय कार्यालय द्वारा दिनांक 03 / 12 / 2024 तक पूर्ण की जायेगी।
3. इस प्रकार संभागीय कार्यालयों की ऑन लाईन पुष्टि उपरांत सम्बल छूट हेतु पात्र छात्रों की संस्थावार राशि की गणना की जाकर मण्डल द्वारा शुल्क छूट की राशि संबंधित जिले की समन्वय संस्था को अंतरित की जायेगी।
4. संबंधित जिले की समन्वयक संस्था द्वारा संबंधित शाला प्राचार्य से सम्पर्क कर खाता क्रमांक आदि की जानकारी प्राप्त कर राशि संस्था को अंतरित करेंगे। यह कार्यवाही समन्वयक संस्था प्राचार्य द्वारा मण्डल से राशि अंतरित होने के उपरांत 10 दिवस की अवधि में पूर्ण की जायेगी तथा 10 दिवस उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करेंगे कि मण्डल मुख्यालय से प्राप्त सूची अनुसार समस्त संस्था प्राचार्य को शुल्क छूट की राशि अंतरित की जा चुकी है।

अतः पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (संबल योजना) के छात्रों को शुल्क छूट से वंचित रह गये छात्रों हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/3572/प.स./2024 भोपाल, दिनांकः 07/11/2024

प्रतिलिपि :-

1 आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर, भोपाल।
2 आयुक्त आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन भोपाल।
3 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
5 समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
6 समस्त संभागीय उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग,म.प्र.।
7 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8 आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, मा.शि.मण्डल, मध्यप्रदेश।
9 समस्त प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय/समन्वयक संस्थायें मध्यप्रदेश।
10 समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11 समस्त प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी, मा.शि.मण्डल, मध्यप्रदेश।
12 वित्ताधिकारी की ओर सूचनार्थ।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल